फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री किशन गुसाई वगैरह** विपक्षी :– **श्री नारायणलाल मेनारिया**

किस्म मुकदमा :– 212 आरटीएक्ट पत्रावली संख्या :– 138/**16 वादपत्र**

जीसीएमएस नम्बर :– **2016/00451**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.08.2025 को "No Instructin Plead" किया जा चुका है। प्रार्थीगण को मूल वाद में सूचना पत्र जारी किये गये। सूचना पत्र पर तामील रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण पत्रावली में दिये गये पते पर नही रहते है। प्रार्थीगण को आज पुनः निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। सांय 5 बजे पुनः निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में पैरवी करने से मना किया जा चुका है। पत्रावली स्वयं पत्रावली में दिए गए पते पर नही रहते है। अधिवक्ता विपक्षीगण को प्रार्थीगण का पता पुछा गया तो जानकारी नही होना बताया। प्रकरण में प्रार्थीगण का उपस्थित नही होने से जाहीर होता की प्रार्थीगण को प्रकरण आगे चलाने में कोई रूची नही है। ऐसे में प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। साथ ही मूल वाद को आज खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 20.10.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.10.24 16:5[illegible]:21 IST Reason: SelfAttested **(रमेश सीरवी पुनाड़िया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	